चेकलिस्ट क्र.–34

वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव संबंधी

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 437 की 16.372 हे. वनभूमि एवं 4.582 हे. राजस्व वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि में पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के अंतर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ नं. 11–9/1998–एफ.सी. दिनांक 03.08.2009 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को वन अधिकार मान्यता पत्र का वितरण नहीं हुआ है। इस हेतु कलेक्टर राजनांदगांव का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव एवं राजस्व वनभूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(एन.एस. बुन्देला)
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
द.पू.म.रेलवे राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
Executive Engineer (Con.)
द.पू.म. रेलवे राजनांदगांव
S.E.C. Railway. RJN

चेकलिस्ट क्र.–34

प्रदर्श –"स"

प्रमाण पत्र

आवेदक मेसर्स कार्यपालन अभियंता (निर्माण) द.पू.म.रे. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा तृतीय रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु गैर वानिकी प्रयोजन के लिये राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल के उत्तर बोरतलाव परिक्षेत्र के वन कक्ष कमांक 437 की वनभूमि व्यपवर्तन हेतु 16.372 हेक्टेयर को व्यपवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ के प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 437 वन भूमि रकबा 16.372 हे. है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पनियाजोब व बोरतलाव तहसील डोंगरगढ में स्थित है, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

ग्राम सभा की बैठक ग्राम पनियाजोब ग्राम पंचायत बरनालाकला एवं ग्राम बोरतलाव ग्राम पंचायत बोरतलाव में पारित प्रस्ताव दिनांक 12.10.2020 एवं 30-10-2020 (प्रदर्श–"अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर दर्शित है।

2. ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पनियाजोब, ग्राम पंचायत बरनालाकला के सरपंच श्री लीलार ध्रुव एवं ग्राम बोरतलाव ग्राम पंचायत बोरतलाव के सरपंच श्रीमती सरिता मंडावी की अध्यक्षता में हुई । ग्राम सभा की बैठक दिनांक 12.10.2020 एवं 30.10.2020 में रखा गया था। (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के 70% - 70% सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारको की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	पनियाजोब व बोरतलाव	निरंक	निरंक

3. ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 70% सदस्यो की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. वनमण्डलाधिकारी, खैरागढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगढ के प्रमाण पत्र के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12.10.2020 एवं 30.10.2020 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जन जाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 12.10.2020 एवं 30.10.2020 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(टोपेश्वर वर्मा)
24/12/2020
कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
जिला– राजनांदगांव

दिनांक 24 / 12 / 2020

चेकलिस्ट क्र.-35

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्थान कार्यपालन अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिला राजनांदगांव (छ.ग.) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत दक्षिण बोरतलाव वन परिक्षेत्र के आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 437 की 16.372 हे. वनभूमि तथा राजस्व वनभूमि 4.582 हे. (बड़े झाड़ का जंगल) कुल 20.954 हे. भूमि में पनियाजोब से बोरतलाव के मध्य तृतीय रेलवे लाईन निर्माण कार्य के व्यपवर्तन हेतु मांग की गई है। राजस्व वनभूमि के लिये कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(एन.एस. बुन्देला)
कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
द.पू.म.रेलवे राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता (निर्माण)
Executive Engineer (Con.)
द.पू.म. रेलवे, राजनांदगांव
S.E.C. Railway. RJN

चेकलिस्ट क्र.–35

राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण–पत्र

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव
//अनापत्ति प्रमाण–पत्र//

क्रमांक/ 40 /भू.अ./रा.नि.व.लो./2021 राजनांदगांव दिनांक 11/02/2021

कार्यपालन अभियंता (निर्माण) द.पू.म. रेलवे, राजनांदगांव का ज्ञापन कमांक NO/XEN/CON/RJN/MISC/297 राजनांदगांव दिनाक 01.02.2021 के अनुसार पनियाजोब बोरतलाब के मध्य तीसरी रेलवे लाईन निर्माण कार्य में प्रभावित हो रहे राजस्व वन भूमि के लिए वन संरक्षन अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य में उपयोग करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है।

अनुसूची

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	गैर वानिकी अपयोग हेतु आवश्यक प्रस्तावित रकबा (हे.)	कैंफियत
1	डोंगरगढ़	पनियाजोब	260	0.187	बड़े झाड़ का जंगल
2		बोरतलाव	199	1.530	
			201	0.154	
			203	2.711	
कुल योग			04	4.582 हे.	

अतएव ग्राम पंचायत व ग्राम सभा से पंचायत प्रस्ताव सहित प्रदर्श "अ" एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्राप्त प्रदर्श "ब" के आधार पर उपरोक्त अनुसूची में उल्लेखित आवेदित राजस्व वन भूमि में से कालम नं. 04 में अंकित कुल खसरा नं. 04 कुल रकबा 4.582 हे. भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नही है, का उल्लेख किया गया है। तद्नुसार लोकहित में शासकीय प्रयोजनार्थ पनियाजोब–बोरतलाब के मध्य तीसरी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

11/2/2021
कलेक्टर
राजनांदगांव

पृ.क्रमांक/399 /भू.अ./रा.नि.व.लो./2021 राजनांदगांव दिनांक 11/02/2021
प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंधन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रायपुर छ.ग. अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर को ओर सूचनार्थ।
2. वन मंडलाधिकारी वनमंडल खैरागढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. कार्यपालन अभियंता, (निर्माण) गौरीनगर रेलवे फाटक के समीप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे राजनांदगांव छ.ग. को सूचनार्थ।

11/2/2021
कलेक्टर
राजनांदगांव

Scanned by CamScanner